कार्यालय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बोकारो

विज्ञापन संख्या– 01/2022–23

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत प्रखण्ड स्तर पर गठित PMU Cell में संविदा आधारित नियुक्ति संबंधी सूचना :

ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची की अधिसूचना संख्या– 1016(अनु0)/ग्रा0वि0, दिनांक– 01.03.2017, पत्रांक– 1192 दिनांक– 09.03.2017, पत्रांक– 1193/ग्रा0वि0, दिनांक– 09.03.2017 एवं पत्रांक– 2300 दिनांक– 23.06.2022 द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत जिला/प्रखण्ड स्तर पर PMU गठन हेतु निदेश प्राप्त है। उक्त के आलोक में बोकारो जिला अंतर्गत PMU Cell में विभिन्न रिक्त पदों के विरूद्ध संविदा आधारित नियुक्ति के उपरांत प्रखण्ड स्तरीय शेष रिक्त पदों पर नियुक्ति की जानी है। इस हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों से Online विभागीय पोर्टल (http://applyrdd.jharkhand.gov.in)के माध्यम से आवेदन आमंत्रित की जाती है, जिसकी कोटिवार, पदवार रिक्तियों की संख्या एवं अहर्त्ता निम्नवत् है :–

प्रखण्ड स्तर पर :

क्र0	पद का नाम	कोटिवार रिक्त पदों की संख्या				कुल रिक्त पदों की संख्या	उम्र सीमा	शैक्षणिक योग्यता
		अनारक्षित	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	अ0जा0	अ0ज0जा0			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	प्रखण्ड समन्वयक (मासिक मानदेय– रू0 18,000/–)	02	00	01	00	03	22–45 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण एवं एक वर्ष का कार्यानुभव। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थानों से रूरल मैनेजमेंट/को–ऑपरेटिव मैनेजमेंट/सोशल वर्क में स्नातक उत्तीर्ण एवं एक वर्ष का कार्यानुभव।
2	लेखापाल–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर (मासिक मानदेय– रू0 10,000/–)	02	01	01	01	05	18–30 वर्ष	मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थानों से वाणिज्य(Commerce) विषय में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण एवं Diploma in Computer Application(DCA) के साथ 06 माह का कार्यानुभव तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण दक्षता अनिवार्य।

उम्र सीमा :– उम्र की गणना 01.12.2022 के आधार पर की जायेगी।

उक्त पदों के लिए दिनांक– 17.12.2022 से 31.12.2022 तक आवेदक ऑनलाईन विभागीय पोर्टल http://applyrdd.jharkhand.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं, जहाँ नियुक्ति संबंधी सम्पूर्ण दिशा–निर्देश एवं सूचना उपलब्ध है।

ह0–
उपायुक्त
बोकारो

ज्ञापांक 940 **/अभि0, बोकारो, दिनांक** 12/12/22

प्रतिलिपि :– जिला जन संपर्क पदाधिकारी, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त विज्ञापन को सभी मुख्य स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, NIC बोकारो को सूचनार्थ एवं विज्ञापन संख्या– 01/2022–23 की विज्ञापन प्रारूप की प्रति के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं निदेश दिया जाता है कि इसे जिला के अधिकारिक वेबसाईट www.bokaro.nic.in पर प्रकाशित करना सुनिश्चित करेंगे।

12.12.2022
उपायुक्त
बोकारो

कार्यालय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बोकारो

विज्ञापन संख्या– 01/2022–23

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत प्रखण्ड स्तर पर गठित PMU Cell में संविदा आधारित नियुक्ति संबंधी सूचना :

ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची के अधिसूचना संख्या– 1016(अनु0) दिनांक 01.03.2017, पत्रांक–1192 दिनांक– 09.03.2017, पत्रांक–1193 दिनांक– 09.03.2017 एवं पत्रांक– 2300 दिनांक– 23.06.2022 के आलोक में प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत बोकारो जिला में प्रखण्ड स्तर पर गठित Project Monitoring Unit(PMU) के विभिन्न रिक्त पदों के विरूद्ध संविदा आधारित नियुक्ति हेतु विभागीय पोर्टल http://applyrdd.jharkhand.gov.in के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन पत्र **दिनांक– 17.12.2022 से 31.12.2022** तक आमंत्रित किया जाता है, जिसकी कोटिवार पदवार रिक्तियों की संख्या एवं अहर्त्ता निम्नवत् है :–

- **प्रखण्ड स्तर पर :**

क्र0	पद का नाम	कोटिवार रिक्त पदों की संख्या				कुल रिक्त पदों की संख्या	उम्र सीमा	शैक्षणिक योग्यता
		अनारक्षित	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	अ0जा0	अ0ज0जा0			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	प्रखण्ड समन्वयक (मासिक मानदेय– रु0 18,000/–)	02	00	01	00	03	22–45 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वद्यिालय से स्नातक उत्तीर्ण एवं एक वर्ष का कार्यानुभव। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थानों से रूरल मैनेजमेंट/को–ऑपरेटिव मैनेजमेंट/सोशल वर्क में स्नातक उत्तीर्ण एवं एक वर्ष का कार्यानुभव।
2	लेखापाल–सह –कम्प्यूटर ऑपरेटर (मासिक मानदेय– रु0 10,000/–)	02	01	01	01	05	18–30 वर्ष	मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वद्यिालय/संस्थानों से वाणिज्य(Commerce) विषय में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण एवं Diploma in Computer Application(DCA) के साथ 06 माह का कार्यानुभव तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण दक्षता अनिवार्य।

❖ उपरोक्त कोटिवार रिक्तियों की संख्या भविष्य में घट–बढ़ सकती है।
❖ नियुक्ति में राज्य सरकार द्वारा जिला हेतु निर्गत आरक्षण नीति लागू मानी जायेगी।

- **नियुक्ति की प्रक्रिया व शर्तें :**

1. सभी अभ्यर्थियों को Online Recruitment Portal(http://applyrdd.jharkhand.gov.in) के माध्यम से ऑनलाईन आवदेन करना अनिवार्य होगा। इस हेतु विभागीय ज्ञापांक– 4894/ग्रा0वि0 दिनांक– 03.12.2018 के अनुसार कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जायेगा।

2. उपरोक्त पदों पर आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित क्षेत्र में कार्यानुभव प्रमाण पत्र के साथ वेतन पर्ची(Salary Slip) या Bank Statement ऑनलाईन में अपलोड करना अनिवार्य होगा।

3. यदि आवेदक एक से अधिक पद के लिए आवेदन देना चाहते हैं तो उन्हें पदवार अलग–अलग आवेदन समर्पित करना होगा।

4. **उम्र सीमा– उम्र की गणना दिनांक– 01.12.2022 के आधार पर की जायेगी।**

5. **आरक्षण–** आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण का दावा करने पर यह माना जाएगा कि आवेदन भरने की अंतिम तिथि को अभ्यर्थी द्वारा दावा किये गए आरक्षण कोटि का सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र धारित किया जाता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों(OBC-I एवं OBC-II) के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षरण रोस्टर बोकारो जिला के तत्समय प्रवृत आदेशों के अनुसार निर्धारित किया जायेगा।

6. **जाति प्रमाण पत्र :–**
(क) झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्गों(OBC-I एवं OBC-II) के सन्दर्भ में जिला/अनुमण्डल के उपायुक्त/ अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र अथवा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 दिनांक 25.02.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 25.02.2019 को अथवा उसके पश्चात् अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा।

7. **आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र :–**
(क) आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक–4650, दिनांक–02.06.2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से दिनांक–02.06.2016 तथा इसके पश्चात् निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा अथवा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक–5752 दिनांक 19.07.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 19.07.2019 को अथवा उसके पश्चात् अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा।
(ख) 19.07.2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।
(ग) दिनांक–02.06.2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।
(घ) आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के पश्चात् निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।

8. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची के संकल्प ज्ञापांक– 7636 दिनांक– 12.10.2018 के अनुसार दिव्यांगजनों के लिए अधिकतम आयु सीमा निम्नवत् हैः–

क्रम	कोटि	अधिकतम आयु सीमा
01	अनारक्षित	45 वर्ष
02	पिछड़ा/अत्यंत पिछड़ा वर्ग	47 वर्ष
03	महिला(अनारक्षित/पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग)	48 वर्ष
04	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (महिला एवं पुरूष)	50 वर्ष

9. सभी शैक्षणिक योग्यताएँ राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान यथा UGC/AICTE/DEB(Distance Education Bureau) का ही मान्य होगा।

10. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :–

(i)- अभ्यर्थियों को उक्त विज्ञापन में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक उपरोक्त वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उतीर्ण होना अनिवार्य होगा, अर्थात् शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए Online आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार तिथि (Reference Date) माना जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं धारित करते हैं तो वे आवेदन भरने के लिए अयोग्य समझे जायेंगे।

(ii)- उपर्युक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक/10वीं कक्षा तथा इन्टरमीडिएट/10+2 कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति–रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। परन्तु यह है कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा तथा इन्टरमीडिएट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने सम्बन्धी प्रावधान शिथिल रहेगा। उक्त से संबंधित शैक्षणिक प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।

11. नियुक्ति शैक्षणिक योग्यता(अनिवार्य एवं वांछनीय), अनुभव एवं दक्षता परीक्षा के अंकों के कुल प्राप्तांकों पर जिला स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा के आलोक में की जायेगी।

12. जिन अभ्यर्थियों का शैक्षणिक प्रमाण पत्र में ग्रेड अंकित हो तो उन अभ्यर्थी को अपने संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान से प्रतिशत में अंतरण कराकर प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

13. प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड समन्वयक के पद के लिए उम्मीदवारों में रूरल मैनेजमेंट/को–ऑपरेटिव मैनेजमेंट/सोशल वर्क में स्नातक उत्तीर्ण/PGDRD/MARD को प्रथमिकता दी जायेगी।

14. आवेदन पत्र के साथ मैट्रिक का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा। आयु सीमा की गणना मैट्रिक के प्रमाण पत्र के आधार पर होगी।

15. प्राप्त आवेदन पत्रों के आलोक में प्रारंभिक मेधा सूची अनिवार्य/वांछनीय शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव(जहाँ आवश्यक हो) के प्राप्तांक के आधार पर तैयार की जायेगी।

16. सभी श्रेणी के पदों के अभ्यर्थियों को दक्षता परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जायेगा।

17. दक्षता परीक्षा में कम्प्यूटर ज्ञान हेतु टेस्ट देना अनिवार्य होगा। कम्प्यूटर ज्ञान हेतु चयन समिति कम्प्यूटर टंकण की परीक्षा ले सकती है।

18. कम्प्यूटर परीक्षा में उत्तीर्णता का स्तर 40 प्रतिशत रहेगा यानि 10 में से 04 अंक लाना अनिवार्य होगा।

19. चयन की पात्रता हेतु कुल निर्धारित 100 अंकों में से सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को न्यूनतम 50 अंक, अनु0जाति/अनु0ज0जा0 के उम्मीदवारों को न्यूनतम 40 अंक तथा पिछड़ा/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 45 अंक लाना अनिवार्य होगा। इससे कम अंक लाने पर नियुक्ति हेतु अयोग्य माने जायेंगे।

20. अंतिम मेधा सूची में पदवार रिक्ति का दोगुना नाम पैनल के रूप में रहेगा जो अधिकतम एक वर्ष के लिए वैध रहेगा। उपरोक्त पदों में एक साल के अंदर होने वाले रिक्ति इसी से भरे जायेंगे।

21. दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के अंतिम मेधा सूची में टाई(Tie) की स्थिति में उम्र में वरीय को प्राथमिकता दी जायेगी। यदि उम्र बराबर हो तो स्थानीयता को प्राथमिकता दी जायेगी तथा यदि सभी के स्थानीयता में समानता होने की दशा में लौटरी के माध्यम से चयन किया जायेगा।

22. प्रारंभिक चरण में संविदा के आधार पर ऐसी नियुक्ति एक वर्ष के लिए की जायेगी। प्रत्येक वर्ष उनके कार्यों का समिति के द्वारा मूल्यांकन किया जायेगा एवं मूल्यांकन में प्रगति संतोषजनक नहीं पाये जाने पर सेवा से हटाने पर विचार किया जायेगा। नवीकरण नहीं होने की स्थिति में ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

23. विज्ञापन में किसी कारणवश आंशिक संशोधन या पूर्णतः रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

24. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में निर्णय लेने का अधिकार जिला स्तरीय चयन समिति का होगा और इसके विरूद्ध किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं की जा सकेगी।

25. अहर्त्ता के अनुरूप आवेदक से ऑनलाईन आवेदन में मांगी गयी सभी विवरणी को पूर्ण रूपेण भरा जाना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन भरे गये गलत सूचना पर संबंधित अभ्यर्थी का आवेदन स्वतः रद्द समझा जायेगा।

12.12.2022

उपायुक्त
बोकारो